संख्या-79/2023/1315/सैंतीस-2-2023/001-1(72)/03

प्रेषक,

सत्यवान सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-10 जुलाई, 2023

विषय :- **गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-128/पशुधन-2/22/1/4/2023-24, दिनांक-30.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न जनपदवार विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
18-प्रकाशन	10.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	30.00
39-औषधि तथा रसायन	160.00
42-अन्य व्यय	40.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
योग-	**750.00**

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. जिला योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय निर्धारण के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
4. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
8. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।
10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2403007890400 (गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु	18 प्रकाशन	10,00,000 (रुपये दस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)		मात्र)
2	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
3	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	39 औषधि तथा रसायन	1,60,00,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
5	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	42 अन्य व्यय	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
6	083	2403007890400 गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं उपलब्ध कराना (जिला योजना)	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	5,00,00,000 (रुपये पांच करोड़ मात्र)
	कुल			**7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)**
महायोग		7,50,00,000 (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-79/2023/1315(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(72)/03, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/एन.आई.सी./गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-79/2023/1315/सैंतीस-2-2023/001-1(72)/03, दिनांक-10 जुलाई, 2023 का संलग्नक-

गायों एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.) (कम्पोनेन्ट) (वित्तीय वर्ष 2023-24) (स्वीकृत धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	18-प्रकाशन	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मेरठ	0.133	0.133	0.399	3.295	0.824	8.308	13.092
2	बागपत	0.133	0.133	0.399	2.471	0.618	7.131	10.885
3	गाजियाबाद	0.133	0.133	0.399	1.140	0.285	3.568	5.658
4	गौतमबुद्धनगर	0.133	0.133	0.399	1.045	0.261	5.271	7.242
5	बुलन्दशहर	0.133	0.133	0.399	5.421	0.855	9.705	16.646
6	हापुड़	0.133	0.133	0.399	1.647	0.412	5.154	7.878
7	सहारनपुर	0.133	0.133	0.399	2.629	0.657	6.227	10.178
8	मुजफ्फरनगर	0.133	0.133	0.399	2.756	0.689	6.623	10.733
9	शामली	0.133	0.133	0.399	1.932	0.483	6.046	9.126
10	मुरादाबाद	0.133	0.133	0.399	2.408	0.602	7.533	11.208
11	अमरोहा	0.133	0.133	0.399	2.028	0.507	5.344	8.544
12	रामपुर	0.133	0.133	0.399	1.426	0.357	4.460	6.908
13	बिजनौर	0.133	0.133	0.399	1.123	0.531	5.641	7.960
14	सम्भल	0.133	0.133	0.399	1.774	0.444	4.551	7.434
15	बरेली	0.133	0.133	0.399	2.091	0.523	6.542	9.821
16	बदायूं	0.133	0.133	0.399	1.249	0.562	5.038	7.514
17	शाहजहांपुर	0.133	0.133	0.399	1.901	0.475	5.947	8.988
18	पीलीभीत	0.133	0.133	0.399	1.426	0.357	4.460	6.908
19	अयोध्या	0.133	0.133	0.399	1.394	0.349	4.361	6.769
20	अम्बेडकर नगर	0.133	0.133	0.399	1.299	0.325	9.064	11.353
21	सुल्तानपुर	0.133	0.133	0.399	2.503	0.626	7.830	11.624

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	बाराबंकी	0.133	0.133	0.399	3.516	0.879	13.002	18.062
23	अमेठी	0.133	0.133	0.399	2.598	0.650	8.128	12.041
24	गोण्डा	0.133	0.133	0.399	2.154	0.539	6.740	10.098
25	बलरामपुर	0.133	0.133	0.399	1.204	0.301	3.767	5.937
26	बहराइच	0.133	0.133	0.399	2.059	0.515	6.443	9.682
27	श्रावस्ती	0.133	0.133	0.399	0.507	0.127	6.586	7.885
28	बस्ती	0.133	0.133	0.399	2.028	0.507	6.344	9.544
29	संतकबीर नगर	0.133	0.133	0.399	1.172	0.293	5.667	7.797
30	सिद्धार्थ नगर	0.133	0.133	0.399	1.932	0.483	5.087	8.167
31	गोरखपुर	0.133	0.133	0.399	3.326	0.832	9.408	14.231
32	महराजगंज	0.133	0.133	0.399	1.806	0.452	5.650	8.573
33	देवरिया	0.133	0.133	0.399	2.028	0.507	7.344	10.544
34	कुशीनगर	0.133	0.133	0.399	2.028	0.507	7.344	10.544
35	प्रयागराज	0.133	0.133	0.399	4.752	1.188	14.868	21.473
36	कौशाम्बी	0.133	0.133	0.399	1.236	0.309	7.866	10.076
37	फतेहपुर	0.133	0.133	0.399	2.756	0.689	6.623	10.733
38	प्रतापगढ	0.133	0.133	0.399	2.200	0.800	7.011	10.676
39	झांसी	0.133	0.133	0.399	5.299	0.325	8.064	14.353
40	ललितपुर	0.133	0.133	0.399	1.616	0.404	5.055	7.740
41	जालौन	0.133	0.133	0.399	1.932	0.483	6.046	9.126
42	बांदा	0.133	0.133	0.399	1.362	0.741	5.262	8.030
43	चित्रकूट	0.133	0.133	0.399	0.919	0.630	3.874	6.088
44	हमीरपुर	0.133	0.133	0.399	1.394	0.749	6.361	9.169
45	महोबा	0.133	0.133	0.399	0.855	0.214	5.676	7.410
46	लखनऊ	0.133	0.133	0.399	4.471	0.618	8.731	14.485
47	उन्नाव	0.133	0.133	0.399	2.136	0.784	6.813	10.398
48	रायबरेली	0.133	0.133	0.399	2.439	0.610	7.632	11.346
49	हरदोई	0.133	0.133	0.399	2.358	0.840	6.507	10.370
50	सीतापुर	0.133	0.133	0.399	2.503	0.626	7.830	11.624
51	खीरी	0.133	0.133	0.399	2.344	0.586	9.335	12.930
52	आजमगढ	0.133	0.133	0.399	2.548	0.887	7.101	11.201
53	मऊ	0.133	0.133	0.399	1.869	0.467	5.848	8.849

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

54	**बलिया**	0.133	0.133	0.399	2.231	0.808	7.110	10.814
55	**वाराणसी**	0.133	0.133	0.399	1.077	0.269	3.370	5.381
56	**जौनपुर**	0.133	0.133	0.399	2.566	0.642	6.029	9.902
57	**गाजीपुर**	0.133	0.133	0.399	3.231	0.808	9.110	13.814
58	**चन्दौली**	0.133	0.133	0.399	1.236	0.309	5.866	8.076
59	**मिर्जापुर**	0.133	0.133	0.399	1.774	0.444	5.551	8.434
60	**सोनभद्र**	0.133	0.133	0.399	1.267	0.317	3.965	6.214
61	**संतरविदास नगर**	0.133	0.133	0.399	0.665	0.166	3.082	4.578
62	**कानपुर नगर**	0.133	0.133	0.399	2.548	0.487	7.101	10.801
63	**कानपुर देहात**	0.133	0.133	0.399	2.724	0.681	8.524	12.594
64	**फर्रूखाबाद**	0.133	0.133	0.399	1.679	0.420	5.253	8.017
65	**इटावा**	0.133	0.133	0.399	1.932	0.483	6.046	9.126
66	**कन्नौज**	0.133	0.133	0.399	1.109	0.277	5.469	7.520
67	**औरैया**	0.133	0.133	0.399	1.299	0.325	5.064	7.353
68	**आगरा**	0.158	0.158	0.474	2.408	0.591	10.533	14.322
69	**मथुरा**	0.133	0.133	0.399	2.738	0.685	8.533	12.621
70	**मैनपुरी**	0.133	0.133	0.399	2.439	0.610	7.632	11.346
71	**फिरोजाबाद**	0.133	0.133	0.399	2.186	0.547	9.839	13.237
72	**कासगंज**	0.133	0.133	0.399	1.236	0.309	4.866	7.076
73	**एटा**	0.133	0.133	0.399	2.313	0.578	7.236	10.792
74	**अलीगढ**	0.133	0.133	0.399	3.607	0.602	6.544	11.418
75	**हाथरस**	0.133	0.133	0.399	3.430	0.358	6.460	10.913
योग-		**10.000**	**10.000**	**30.000**	**160.000**	**40.000**	**500.000**	**750.000**

(रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र)

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।